सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 749 **14 Aashwin, 1938 (S)**
Ranchi, Friday, 6th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

4th October, 2017

S.O. No. 90 Dated- 6th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

(a) an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

2. This notification shall be deemed to be effective from 15th September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

(K. K. Khandelwal)
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2017

एस० ओ०-90 दिनांक 6 अक्टूबर, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा ।

2. यह अधिसूचना 15 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के०के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 749-- 50.